

पहले तो भारत से मार खाई और अब दुनिया भर से भी लताड़

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले तो पाकिस्तान ने भारत से बुरी तरह मार खाई और अब दुनिया भर से लताड़ भी पड़ रही है।

रविवार को फ्रांस की नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने गलत जानकारी और गलत तथ्य छापे। फ्रेंच नेवी ने यह बात उस आउटलेट के दावे पर कही, जिसमें कहा गया कि एक फ्रेंच अफसर ने इस साल मई में बॉर्डर पर टकराव के दौरान पाकिस्तानी एयर कुशलता और भारतीय राफेल जेट को मार गिराने की पुष्टि की।

अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी एक बयान में, ‘मरीन नेशनल’ ने कहा कि आर्टिकल में मनगढ़ंत टिप्पणियां थीं और इसमें शामिल अफसर की पहचान भी गलत बताई गई थी। पोस्ट में कहा गया,

फेक न्यूज- ये बयान कैप्टन लॉने के नाम से थे, जिन्होंने किसी भी तरह के पब्लिकेशन के लिए कभी अपनी मंजूरी नहीं दी। आर्टिकल में बहुत ज्यादा गलत जानकारी और गलत तथ्य है।

पाकिस्तान के जियो टीवी की 21 नवंबर की रिपोर्ट में जैक्स लॉने के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने 6-7 मई को 140 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के बीच हुई हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयर फोर्स की तारीफ की थी और दावा किया था कि भारतीय रफाल चीन की मदद से गिराए गए थे।

फ्रेंच नेवी ने कहा कि अफसर का असली नाम कैप्टन इवान लॉने है और उनके नाम से किए गए कोई भी कमेंट असली नहीं थे। उनकी असली भूमिका को साफ करते हुए, नेवी ने कहा कि पहला नाम इवान है, जैक्स नहीं। आर्टिकल में

जो बताया गया है, उसके उलट, उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ ऑर्गेनिक नेवल एयर स्टेशन को कमांड करने तक ही सीमित हैं, जहां फ्रेंच राफेल मरीन एयरक्राफ्ट तैनात हैं।

इंडो-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कैप्टन लॉने का प्रेजेंटेशन पूरी तरह से टेक्निकल था। इसमें कहा गया, कैप्टन इवान लॉने ने अपने नेवल एयर बेस के एसेट्स, राफेल फाइटर जेट के मिशन और फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कॉन्सेप्ट के बारे में बताया।

इवेंट में सवालों के जवाब में, लॉने ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया और चीनी सिस्टम द्वारा भारतीय राफेल के पॉसिबल जैमिंग पर कमेंट करने से मना कर दिया। नेवी ने आगे कहा कि उन्होंने कभी चीन का जिक्र नहीं किया।

सेवानिवृति के बाद आदिवासी क्षेत्रों में समाजसेवा करेंगे

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि अगर आपने सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दिया तो आप स्वतंत्र जज नहीं हैं। ये सही सोच नहीं है। केस इस आधार पर तय नहीं किया जाता कि मुकदमेदार सरकार है या कोई निजी व्यक्ति। निर्णय जज के सामने मौजूद दस्तावेजों के आधार पर होता है, उसमें सरकार जीत भी सकती है हार भी सकती है।

सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले अपने निवास पर पत्रकारों से विस्तृत बातचीत में सीजेआइ ने अपने कार्यकाल और काम के प्रति संतोष जताते हुए एक बार फिर दोहराया कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं लेंगे उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद आदिवासी क्षेत्रों में समाजसेवा करने की बात कही।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसमें जनता का भरोसा बनाए रखने के साथ ही कॉलेजियम सिस्टम और जजों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद आदि विषयों पर भी बेबाक राय रखी। हालांकि घर में नगदी

मिलने के मामले में महाभियोग प्रक्रिया का सामना कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने से संबंधित सवाल पर उन्होंने मामला संसद के लंबित होने की बात कहते हुए जवाब देने से मना कर दिया।

सीजेआइ गवई रविवार 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे।

अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसमें जनता का भरोसा बनाए रखने के बावत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर न्यायपालिका में भरोसा कायम रखना है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा बनाए रखी जानी चाहिए। ये आलोचना होती है कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं लेकिन मेरा सोचना है कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में मददगार है।

हम लोग नियुक्ति के वक्त कार्यपालिका की भी राय लेते हैं, आइबी रिपोर्ट पर विचार किया जाता है, न्याय और कानून

मंत्रालय की राय देखी जाती है और संतुलित नजरिया अपनाया जाता है। कुछ वर्गों में ये सोच है कि जबतक आपने सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दिया आप स्वतंत्र जज नहीं हैं।

दस दिन बाद आराम करने के बाद इस पर सोचेंगे। वह सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। समाजसेवा हमारे खून में है। मैं अपने जिले में आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। कई डाक्टर वहां काम कर रहे हैं उनकी मदद करूंगा।

न्यायपालिका में सभी स्तरों पर लंबित मुकदमों की संख्या समस्या है। सबसे बड़ी प्राथमिकता लंबित मुकदमों का निपटारा है।

एआइ का प्रयोग करके और मुकदमों का वर्गीकरण करके उससे निपटा जाना चाहिए। अपने कार्यकाल में किसी महिला जज की नियुक्ति न कर सकने का मलाल जता चुके जस्टिस गवई से जब पूछा गया कि क्या इसका कारण कॉलेजियम में सहमति न बन पाना था तो उन्होंने कहा कि ये तो पहली बात है ही कि कॉलेजियम में सहमति होनी चाहिए।

लोकपाल कानून में बदलाव की जरूरत

कानून में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर फैसला करने के लिए दो या उससे ज्यादा ज्यूडिशियल और नान-ज्यूडिशियल सदस्यों वाली पीठों को काम करने की इजाजत देने का प्रविधान है।

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। लोकपाल कानून में बदलाव की जरूरत है। किसी भी तरह की मर्जी की गुंजाइश को रोकने और इसे सही तरीके से लागू करने के लिए जरूरत है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार के कुछ हलकों

में ऐसी भावना प्रबल है कि एक दशक से भी पहले बने इस कानून के कुछ नियमों पर अब फिर से विचार किया जाए। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक जनवरी, 2014 को अस्तित्व में आया।

हालांकि, इसने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद 27 मार्च, 2019 को ही काम करना शुरू किया। फिलहाल लोकपाल के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर हैं, और इसमें आठ सदस्य हो

सकते हैं-चार ज्यूडिशियल और चार नान-ज्यूडिशियल।

सूत्रों ने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष ने मामलों की सुनवाई करते समय सभी सदस्यों वाली और खुद की अध्यक्षता वाली एकल पीठ के जरिये काम करने का फैसला किया है।

कानून में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर फैसला करने के लिए दो या उससे ज्यादा ज्यूडिशियल और नान-ज्यूडिशियल सदस्यों वाली अलग-अलग पीठों को काम करने की इजाजत देने का प्रविधान है।

सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं और हो सकता है कि सिंध फिर भारत में लौट आए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सिंध के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को याद किया।

बता दें, सिंध क्षेत्र 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। वहां रहने वाले ज्यादातर सिंधी हिंदू भारत आ गए। एलके आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी पीढ़ी के सिंधी आज भी सिंध के भारत से अलग होने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के हिंदुओं के लिए सिंधु नदी हमेशा पवित्र रही है और

सिंध के कई मुसलमान भी इसकी पवित्रता को आब-ए-जमजम जितना पवित्र मानते थे। आज सिंध भूगोल से भले ही भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति से वह हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कल सिंध वापस भारत आ जाए। रक्षा मंत्री ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत को बिना किसी आक्रामक कदम के मिल जाएगा। लोग खुद आवार्जे उठाने लगे हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत को आगे बढ़कर हिस्सा वापस लेना चाहिए। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह ने कहा कि हालात खुद इस दिशा में बदल रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से उ.प्र. में सामाजिक वातावरण का निर्माण

प्रमोद कश्यप, लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तर प्रदेश पवेलियन केवल उत्पादों का शो रूम ही नहीं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के प्रदर्शन का मंच बन गया है। सबसे बड़ा आकर्षण यूपी के कोने-कोने से आई महिला उद्यमियों के उल्लेखनीय प्रगति की कहानी है, जो स्टार्टअप्स, पारंपरिक शिल्पों, खाद्य उद्यमों और नवाचार-आधारित उद्यमों के पीछे गर्व से खड़ी हैं। इन महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करती है, जो एक ऐसे भविष्य का संकेत देती है जहां महिलाएं न केवल भागीदार हैं, बल्कि विकास की प्रणेता हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण किया गया है, जहां महिलाएं न केवल सुरक्षित, आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस कर रही हैं, बल्कि प्रदेश की सफल उद्यमी व इनोवेटर के तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चलाई जा रही नीतियों का परिणाम है कि प्रदेश की महिला उद्यमी अब न केवल व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में, बल्कि गांवों, शहरों और वैश्विक बाजारों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं-नेतृत्व वाले अनेकों ब्रांड्स राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

आईआईटीएफ- 2025 में यूपी पवेलियन में प्रदेश की महिलाओं के स्टार्ट-अप, स्वयं सहायता समूहों के

उत्पाद अंतराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। यूपी पवेलियन में महिला उद्यमी प्रदेश के पारंपरिक खाद्य उत्पादों, हस्तकला व परिधान के साथ खादी उत्पाद, पर्यावरण-अनुकूल सजावट और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद पेश कर रही हैं। आईआईटीएफ 2025 में प्रदेश के महिलाओं-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, योगी सरकार की योजनाओं के तहत विकसित स्टार्टअप्स और कौशल विकास कार्यक्रमों, ऋण पहुंच और मेंटरिंग पहलों से लाभान्वित उद्यमियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की महिला उद्यमी अपने सफल उद्यमों से न केवल आर्थिक तरक्की कर रही हैं साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं।

आईआईटीएफ में आये राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशक व व्यापारी यूपी पवेलियन की विजिट करते हैं, तो वह न केवल उत्पादों की विविधता है बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के आत्मविश्वास, गर्व और महत्वाकांक्षा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। यूपी की इन महिला उद्यमियों की सफलता की यात्रा मुख्यमंत्री योगी के परिवर्तन, समावेश और प्रगतिशील विकास के विजन को प्रतिबिंबित कर रही है। इस परिवर्तन के पीछे के योगी सरकार की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता।

इसके लिए प्रदेश में जिला स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। साथ ही 1090 महिला हेल्प लाइन का त्वरित रिसपांस व एक्शन यूपी में महिलाओं के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन चुका है।

मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान

नितिन कुमार सिंह, बागपत। जिले में मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान संचालित है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी विनीत कुमार उपाध्याय ने बड़ौत तहसील में अभियान की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीएलओ प्रतिदिन कम से कम 200 फॉर्म 'माय बीएलओ' ऐप पर अपलोड करें, ताकि सूची समय पर और सही रूप में तैयार हो सके।

अपर जिलाधिकारी ने समीक्षा के बाद बड़ौत तहसील के कई गांवों का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने मौके पर ही बीएलओ से अभियान में प्रगति की रिपोर्ट ली और चेताया कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय है। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिया कि बीएलओ को पूरी मदद दें, क्योंकि मतदाता सूची में नए नाम जोड़ना और त्रुटियों को ठीक करना अत्यंत संवेदनशील कार्य है।

गौरतलब है कि एसआईआर अभियान लगभग 22 साल बाद फिर शुरू हुआ है। वर्ष 2003 के बाद यह पहला विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण है। जिला निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज हो।

जिले में कुल 981 बूथों पर एक साथ

मुआवजा उन लोगों को भी बांट दिया

प्रमोद कश्यप, लखनऊ। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे मुआवजा घोटाले में कई उन लोगों को भी मुआवजा बांट दिया गया जो न तो पात्र थे और न ही गरीब। संबंधित राजस्व अधिकारियों ने इन्हें कागजों पर गरीब व अनुसूचित जाति का दिखाकर राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी की थी। हकीकत में यह गरीब नहीं बल्कि लखपति थे।

इनके बैंक खातों से लाखों रुपये की राशि स्थानांतरित की गई थी। बैंक खातों की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद राजस्व विभाग ने लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार से मामले की जांच को शुरू की जाएगी।

यह अभियान चल रहा है। बागपत में तीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 17 सहायक अधिकारी और 981 बीएलओ सक्रिय हैं। जिले में वर्तमान में 9,72,286 मतदाता दर्ज हैं, जिनकी सूची को और अधिक शुद्ध व समावेशी बनाने पर जोर है।

एसआईआर के तहत चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। नौ दिसंबर को प्रारंभिक सूची जारी होगी, जबकि अंतिम सूची का प्रकाशन सात फरवरी 2026 को होगा। फॉर्म में नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईपीआईसी संख्या

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर शासन ने 13 मई 2013 को लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव व हरदोई के जिलाधिकारियों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे का संरक्षण भी जारी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 302 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का संरक्षण सामने आने के बाद मुआवजे का खेल शुरू हुआ था।

अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत करके कई दलितों को गरीब दिखाकर वर्ष 2007 से पहले से ग्राम समाज की भूमि पर काबिज दिखाया था। भरना है। फॉर्म के साथ कोई भी अभिलेख जमा करना आवश्यक नहीं है।

मतदाता सूची और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी अब आसानी से उपलब्ध है। 2003 की वोटर लिस्ट देखने के लिए मतदाता अपना जिला और विधानसभा चुनकर भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से पोलिंग स्टेशनवार सूची डाउनलोड कर सकते हैं। जहां ईपीआईसी नंबर डालकर संबंधित अधिकारी का नाम और नंबर देखा जा सकता है।

बीएलओ को गणना प्रपत्र किट, संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी

नितिन कुमार सिंह, बागपत। जिले के 513 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 981 मतदेय स्थलों पर तैनात 981 बूथ लेवल ऑफिसर और 102 सुपरवाइजर्स लगातार घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और भरे हुए फॉर्म को संकलित कर रहे हैं। सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र किट, नए मानकीकृत पहचान पत्र और फील्ड रिपोर्टिंग से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रशासन ने सोशल मीडिया, जनसंपर्क, माइक अनाउंसमेंट, डिजिटल माध्यमों और जागरूकता पोस्टरों के जरिए जनजागरूकता अभियान को भी गति दी है। प्रत्येक नागरिक से अपील जारी है कि वे अपना एसआईआर फॉर्म समय से भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं।

जनपद की छपरौली, बड़ौत और बागपत तीनों विधानसभाओं में कुल 9,76,798 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 9,66,104 मतदाताओं यानी 98.91 प्रतिशत को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अब तक माय बीएलओ ऐप पर कुल 75,524 फॉर्म का डिजिटल डेटा अपलोड हुआ है। इस प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अस्मिता लाल ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे फॉर्म के संग्रहण की गति बढ़ाएं और

सभी संग्रहित प्रपत्रों का समयबद्ध डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करें। अभियान की निगरानी हेतु एसडीएम, नायब तहसीलदार, बीडीओ और बीईओ लगातार फील्ड में निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि डेटा फीडिंग और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी भी लगाए गए हैं।

मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा स्वीप बागपत एप पर शुरू की गई है। इस सुविधा के माध्यम से मतदाता सीधे फोन कॉल पर अपने बीएलओ से बात करके फॉर्म से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं या फॉर्म भरने से संबंधित सहायता ले सकते हैं। साथ ही अब स्वीप बागपत एप पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने का विकल्प भी उपलब्ध है। अब तक जनपद के कुल 405 मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। निर्वाचन सेवाओं से जुड़ी सहायता हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया गया है। इसका हेल्पलाइन नंबर 0121-2222870 और टोल-फ्री नंबर 1950 है। यदि किसी परिस्थिति में बीएलओ फॉर्म उपलब्ध नहीं करा रहा है, फॉर्म लेने से मना कर रहा है या रिसीविंग नहीं दे रहा है, तो मतदाता पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा।

कोशिश करो

तैयार रहो

सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध
प्रधान कार्यालय: निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101
Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 0931242244



संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें।
स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।
(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

आदेश के बावजूद नेहा सिंह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं

प्रमोद कश्यप, लखनऊ। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म-जाति के आधार पर एक-दूसरे समुदाय को भड़काने समेत अन्य आरोपों में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर हजरतगंज थाने में 27 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस की नोटिस और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नेहा सिंह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं।

पुलिस ने अब शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजी है। साथ ही, नेहा की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमला किया था। हमले में 26 भारतीयों की मौत हो गई थी।

इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट से एक के बाद एक कई पोस्ट किए थे।

वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लोगों के बीच वैमनस्यता फैलाने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर हानिकारक दावे, गलत सूचना और अफवाहे फैलाने समेत अन्य धाराओं में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह कर रहे हैं।

पुलिस ने शिकायकर्ता के बयान दर्ज किए। साथ ही, सभी साक्ष्यों को एक पेन ड्राइव में रखकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में वीडियो और पोस्ट की पुष्टि हुई और इनमें

किसी प्रकार का छेड़छाड़ भी नहीं मिला।

ऐसे में हजरतगंज पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को बयान दर्ज कराने के लिए अंबेडकरनगर के हीडी पकड़िया गांव में नोटिस भेजा था। इस दौरान नेहा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी।

इस पर हाई कोर्ट ने भी नेहा को पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश और पुलिस की नोटिस के बावजूद नेहा ने बीमारी का हवाला देते हुए अपने बयान दर्ज नहीं कराए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की। इस पर एक टीम को उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगाया गया है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि टीम अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है।

फर्जी दस्तावेजों पर रह रहे लोगों को वापस भेजा जाएगा

प्रमोद कश्यप, लखनऊ। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य में घुसपैठियों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों बड़े शहरों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान शुरू कर दी गई है।

पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिटेन्शन केंद्रों पर रखा जाएगा। इनकी जानकारी एकत्र कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों को वापस भेजा जाएगा।

पुलिस ने सभी थानों में किराएदारों के सत्यापन के दस्तावेजों को नए सिरे से खंगालना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ काफी बढ़ी है। कई गिरोह बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज तैयार करा कर राज्य में

बसा रहे हैं। इसके बदले में बांग्लादेशियों से मोटी रकम भी वसूली जा रही है।

बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में कई बांग्लादेशियों को पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है।

पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सभी जिलों के एसएसपी व पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया में निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।



अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

सभी क्षेत्रवासियों को

नव वर्ष 2026

की हार्दिक

शुभकामना

रूखी कश्यप

जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बागपत

पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2019 व 2024



श्री लव कश्यप
जिलाध्यक्ष जनपद-बागपत



सम्पादकीय.....

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की

रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की जैसे कि आरक्षण में क्रीमी लेयर, कॉलिजियम पर आरोप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अपने भविष्य को लेकर उन्होंने साफ-साफ जवाब दिए। सीजेआई गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि आरक्षण में सब-क्लासिफिकेशन लागू होना चाहिए, ताकि लाभ ज्यादा वंचित समूहों तक पहुंच सके। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल जिस बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, वे उसके सदस्य थे।

कई स्तर परिवार अब काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वे आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। बराबरी तभी संभव है जब क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किया जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ अधिकारियों के बच्चे भी आरक्षण का फायदा लेते हैं। न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया है, अब सरकार और संसद को नीति बनानी चाहिए ताकि स्तर/स्तर में क्रीमी लेयर तय हो सके। अपने फैसले का जिक्र करते हुए छद्म ने कहा था कि सच्ची समानता के लिए जरूरी है कि राज्य स्तर/स्तर में क्रीमी लेयर पहचानकर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करे।

कॉलिजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अक्सर आरोप लगते हैं कि रिश्तेदारों को तरजीह दी जाती है। इस पर सीजेआई गवई ने कहा कि ऐसे मामले कुल नियुक्तियों के 10 प्रतिशत से भी कम होते हैं। अगर कोई उम्मीदवार योग्य है तो सिर्फ इसलिए उसे नहीं रोका जा सकता कि वह किसी जज रिश्तेदार है। ए

क गलत सोच यह है कि जज तभी स्वतंत्र माना जाता है जब वह सरकार के खिलाफ फैसला दे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी एक फैसले से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मजबूती से तय होती है। साथ ही, हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर पर हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

रिटायरमेंट के बाद कुछ समय आराम करेंगे और फिर सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे, खासकर आदिवासी समुदायों के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी भी प्रकार का पोस्ट-रिटायरमेंट पद स्वीकार नहीं करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।

परिस्थिति सदा समान नहीं रहती, प्रशासन या बीएलओ द्वारा समझाने की बहुत कोशिश की जा रही, जागरूक बनो

अति महत्वपूर्ण जो एसआईआर फार्म को महत्व नहीं दे रहे हैं

नितिन कुमार सिंह, बागपत वायरल। अति महत्वपूर्ण जो एसआईआर फार्म को महत्व नहीं दे रहे हैं, या इसे महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, नोटिस आने के बाद दफ्तरों और अधिकारियों के पास चक्कर काटेंगे।

परिस्थिति सदा एक समान नहीं रहती है। प्रशासन या बीएलओ द्वारा अभी लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से हम अपने बड़ों के 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नाम डूँढ रहे हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमारे नाम डूँढ रही होगी कि 2025 में जब एसआईआर हुई थी तो हमारे माता-पिता या दादा-दादी ने अपना नाम दर्ज कराया था या नहीं, और अगर किसी वजह से उन्हें हमारा नाम 2025 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो आप सोच सकते हो कि उनके साथ कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

जागरूक बनो और जागरूकता फैलाओ और एक दूसरे की मदद करते रहो। हमारे गांव, शहर, गली मोहल्ले और हमारी रिश्तेदारी, दोस्ती में कोई आदमी ऐसा ना बचे जिसका एसआईआर फार्म न जमा हो पाये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश की

एसआईआर, को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, 2003 की वोटर लिस्ट से माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी आदि में से किसी एक का ब्यौरा भरकर गणना फार्म जमा कर सकते हैं। फार्म के साथ फिलहाल कोई भी दस्तावेज नहीं देना है केवल 3 चीजे आवश्यक है फोटो, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम भरना जरूरी है। आधार कार्ड और पहचान पत्र देना वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है, जिसकी 2 जगह वोट हो वो केवल 1 जगह ही गणना फार्म जमा करे। सबसे महत्वपूर्ण बात, बकौल मुख्य निर्वाचन आयोग एसआईआर फार्म जमा ना करने से वोट का अधिकार छिनेगा, नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है इससे जिनकी वोट नहीं बनी है वो भी 9 दिसंबर से फार्म 6 भरकर वोट जुड़ा सकते हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म ऑनलाइन पर उपलब्ध है। जहाँ आप श्वच्छ नंबर, फोटो अपलोड करें और ई-साइन सहित अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आधार, आयु व पता प्रमाण, फोटो और वोटर आईडी आदि शामिल है। बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची अद्यतन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और टेरिटोरियल स्टेट्स में योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य उन सभी मतदाताओं को पंजीकृत करना है जो बूथ स्तर अधिकारियों की घर-घर सर्वे प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे। बता दें कि दूसरे फेज के तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

मतदाता अपना और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि तकनीकी या जानकारी संबंधी सहायता के लिए, नेट ऐप पर बीएलओ की सुविधा भी उपलब्ध है।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।

www.kesharidarpan.com

पर रजिस्टर/लॉगिन करे।

KD सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

वेतन भुगतान को उच्च शिक्षा विभाग प्रबंधन को कर चुका निर्देशित, शहर कोतवाल से लेकर राष्ट्रपति तक न्याय करने की गुहार एस.एम. कॉलेज, चंदौसी प्रबंधन की हठधर्मिता के सामने शासन-प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय के सभी आदेश बेअसर

सुरजीत कुमार, संभल/चन्दौसी। एसएम. कॉलेज चन्दौसी के वाणिज्य विभाग के आयोग चयनित प्रोफेसर डॉ. प्रवीण कुमार ने कॉलेज सचिव को पत्र भेजकर महाविद्यालय में कर्तव्यों के निर्वहन की अनुमति, प्रवेश वर्जित संबंधी प्रतिबंध हटाने, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने और अप्रैल से रोके गए वेतन भत्तों का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई की मूल वजह मीनाक्षी सागर की रिट याचिका संख्या 8466 (रिट-अ) को उच्च न्यायालय प्रयागराज ने 21.8.25 को ही खारिज कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और पुलिस विभाग की कई जांचों में उन्हें दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निरस्त किए गए मीनाक्षी सागर के वाद के दृष्टिगत तथा महाविद्यालय पर प्रशासनिक क्षेत्राधिकार रखने वाले गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद द्वारा 17.04.25 एवं 30.04.2025 को निर्गत बहाली एवं अन्य आदेशों, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा निर्गत आदेश 30.10.2025, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम

1973 के प्रावधानों तथा उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत आदेश व अन्य सुसंगत आदेशों प्रावधानों का पालन करते हुए डॉ प्रवीण कुमार को महाविद्यालय में कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है।

विश्वविद्यालय ने 30.4.25 को बर्खास्त किए गए प्राचार्य एवं दोनों प्राध्यापकों को बहाल कर कॉलेज में अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश भी दिया था। कॉलेज प्रबंधन ने अवैध रूप से उन्हें निलंबित करने तथा कॉलेज में प्रवेश रोकने की कार्रवाई की, जिसके चलते वे आयोग-चयनित प्राचार्य के कैप कार्यालय से कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने शिक्षक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि विभागीय आदेशों के बावजूद वेतन/भत्तों का भुगतान न होने से वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं।

उन्होंने बताया है कि साजिश व षड्यंत्र के तहत मीनाक्षी सागर द्वारा समय-समय पर कराई गई विभिन्न शिकायतों को आधार बनाकर प्रबंधन द्वारा विधि विरुद्ध अपने भाई संजय कुमार को जांच अधिकारी बना व अन्य रिश्तेदार तथा विधि व्यवसायी को शामिल कर निलंबित/बर्खास्त/निलंबित संबंधी कार्रवाई की गई थी।

उन्होंने अपनी बात को तर्क संगत एवं ठोस दस्तावेजी सबूतों के साथ बताया कि सभी आरोपों के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच में भी 20.02.2025 को ही पूर्ण रूप से दोषमुक्त करते हुए क्लीन चिट दी जा चुकी है। पुलिस विभाग द्वारा भी 15.03.2025, 20.03.25, 23.03.2025, 08.05.2025, 18.06.2025, 12.11.2025 को दी गई जांच आख्या में पूर्व में ही दोषमुक्त करते हुए क्लीन चिट दी जा चुकी है। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद द्वारा भी अपनी जांच के अंतर्गत 30 अप्रैल, 2025 को ही बहाल करते हुए महाविद्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करने सम्बन्धी आदेश दिया गया है।

डॉ. प्रवीण कुमार ने अपनी दर्द भरी दस्तान व्यक्त करते हुए ने बताया कि पूर्व में भी महाविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालय के बाहर भी विभिन्न प्रकार के जानलेवा हमले, गाली गलौच, हाथापाई, मारपीट आदि की गई। पुलिस में झूठी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई। पूर्व में भी नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, फर्जी मुकदमे भी मेरे ऊपर दर्ज करवाए गए। इन सब के दृष्टिगत फिर से अनहोनी की आशंका के चलते हैं डॉ.

प्रवीण द्वारा महाविद्यालय में अपनी सुरक्षा

हेतु सुरक्षित एवं निर्बाध प्रवेश हेतु समुचित एवं ठोस कदम उठाने एवं उपाय करने की मांग कॉलेज सचिव से की है।

उन्होंने बताया है कि महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधि विरुद्ध जाकर एवं विभिन्न शासनादेशों तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए मुझे नियमानुसार देय वेतन/भत्तों आदि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा देय वेतन/भत्तों के संबंध में 06.08.2025, 14.08.25, 19.08.25 तथा 15.11.2025 आदि तिथियां में आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु कॉलेज प्रबंधन इन आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

शासन उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय आदि से जो भी विधि सम्मत आदेश आता है प्रबंधक उसके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर देता है। उन्होंने नियमानुसार देय वेतन/भत्तों का भुगतान करने/कराने की मांग की है।

उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन न होने की स्थिति में किसी भी शारीरिक मानसिक, आर्थिक आदि क्षति के लिए कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

उन्होंने प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित उच्च

अधिकारियों को भी भेजी है।

एस.एम. कॉलेज, चंदौसी, जनपद-संभल प्रकरण अब शासन प्रशासन उच्च शिक्षा विभाग सभी के लिए एक अबूझ पहली बन चुका है। वर्तमान हालातों को देखते हुए लगता है कि शासन-प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अपना इकबाल खो चुके हैं।

महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र की हठधर्मिता के चलते जहां पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर, विद्यार्थियों अभिभावकों महाविद्यालय के स्टाफ एवं अन्य हितधारकों का लगातार अहित भी हो रहा है। कॉलेज में शिक्षण कार्य पर बेहद ही विपरीत असर हुआ है।

संस्था में पहले से ही शिक्षकों का अभाव है, और जो शिक्षक बच्चे भी है वह भी अब कॉलेज के इस महाभारत में किसी न किसी कारण से पार्टी बन चुके हैं।

स्मरण रहे की पुलिस विभाग द्वारा भी इस संबंध में चालान कार्रवाई किए जाने की चर्चाएं हैं।

वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता के चलते इतने पुराने और प्रतिष्ठित महाविद्यालय की समस्या का समाधान ना होना भी जनप्रतिनिधियों और सरकार के समक्ष चुनौती पैदा करते हैं। समाधान के लिए इंतजार सभी को है।

नोट: पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, सम्पादक का इन लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादक: सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादक: डा. प्रवीण कुमार, (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)